न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 51 / 2016

RCMS Case No. 2016/00497

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
बाबुलाल उर्फ बावरीया पुत्र टीमा जाति मेणा निवासी सेसली तहसील बाली		शंकरलाल पुत्र धन्नाजी के का०मु० 1. हरिश कुमार पुत्र शंकरलाल 2. नवली बाई पुत्री शंकरलाल 3. मंजू पुत्री शंकरलाल 4. ऐंजीबाई पत्नि शंकरलाल जातिगण नाई निवासीगण सेसली तहसील बाली 5. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत सेसली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 4

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.1.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या 6 / 27.07.1972 संकल्प संख्या 6 दिनांक 01.10.1973 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 4 के पति शंकरलाल पुत्र धनाजी नाई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 01.10.1973 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पिता / पति शंकरलाल के पक्ष में जारी किया गया, वह भूमि खातेदारी भूमि है, जिसकी सनद दिनांक 25.03.1980 को प्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार बाली द्वारा जारी की गई है। इसी सनद के अनुरूप पट्टे में वर्णित आराजी भी खातेदारी होना साबित होता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा विधि विरूद्ध है, जिसके कारण उक्त आदेश की पालना में जारी पट्टा भी विधि विरूद्ध साबित होता है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा होने के कारण प्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार बाली द्वारा सनद जारी की गई है। जैर निगरानी आज्ञा, जिस मिसल में पारित की गई है, उस मिसल की आदेशिकाएं पूर्णतः गलत एवं नियमों को अनदेखा करते हुए लिखी गई है। प्रथम आदेशिका वर्ष 1962 में लिखी गई है एवं अन्तिम आदेशिका वर्ष 1973 में लिखी गई। इस प्रकार ग्यारह वर्षो तक मिसल में कार्यवाही जैरकार रही, जो संदेहास्पद है। विवादित भूमि का मौका निरीक्षण, नक्शा एवं आपत्ति इश्तिहार वर्ष 1962 व 1963 में बताये गये है एवं पट्टा वर्ष 1973 में जारी किया गया है। इनमें 10 वर्षो का अन्तराल है। आपत्ति इश्तिहार

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

पत्रावली में उपलब्ध ही नहीं है। नक्शा अकेले ग्राम सेवक द्वारा तैयार किया गया है, जबकि इस हेतु कमेटी होती है एवं सभी के हस्ताक्षर होते है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में बेचानामा के आधार पर विक्रय विलेख जारी करने के प्रावधान कतई नहीं है। विवादित विक्रय विलेख में वर्णित भूमि रामा, नवीया बेटा पोता केना, जाति मीणा निवासी सेसली व केसा पुना जोता बाबत बेटा पोता भुताजी द्वारा शंकरलाल को बेचान करना बताया है तथा बेचाननामा संलग्न मिसल है। दो प्राईवेट पक्षकार के मध्य बेचान इकरार के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार से पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें पंचायती राज नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है, जिसके कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता/पति शंकरलाल ने दिनांक 26.07.1972 को सरपंच ग्राम पंचायत सेसली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकान व थाले का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर सरपंच द्वारा नियमानुसार शुल्क लेकर मिसल बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिए। उक्त आदेश की पालना में शंकरलाल द्वारा राशि जमा करवाई तथा उसके पश्चात विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि शंकरलाल द्वारा क्रय की गई है तथा क्रेता द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष शंकरलाल के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु बयान कलमबद्ध करवाये गये है। प्रार्थी का यह कथन है कि उक्त भूमि आबादी की नहीं है, जबकि उक्त भूमि पर मकान बने हुए है तथा राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 मकान के रूप में आबादी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में मिसल दर्ज की वर्ष 1962 बताया है, जबकि वास्तविक रूप से वर्ष 1972 है, जो हिन्दी लिपी में लिखा गया है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। स्वयं विक्रेता ने अपने बयानों में जाहिर किया कि मोके पर उसका कब्जा नही है, उसने उक्त भूमि का बेचान कर दिया है। इससे प्रार्थी एस्पोप्ड है। प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी होने के 52 वर्षो पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है, जिसकी देरी का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। ग्राम पंचातय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। उक्त भूमि आबादी की भूमि है तथा धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत की प्रक्रिया, विधिकता को देखा जाना है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रावधान की पूर्णतः पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 623, आर0एल0आर0 1995 (1) पेज 555, डी0एन0जे0 2002 (1)(राज.) पेज 307, ए0आई0आर0 2015 (एस.सी.) 1021, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 868 तथा आर0एल0आर0 2000 (1) पेज 479 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन, अनुशीलन एवं परीक्षण किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या 6/27.07.1972 संकल्प संख्या 6 दिनांक 01.10.1973 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 4 के पति शंकरलाल पुत्र धनाजी नाई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 01.10.1973 के विरूद्ध पेश की गई है। मिसल के अवलोकन से

अति० जिला कलेक्टर, पाली

यह स्पष्ट होता है कि शंकरलाल द्वारा दिनांक 26.07.1972 को सरपंच ग्राम पंचायत सेसली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी माताजी के खरीदसुदा प्लोट, जिसमें पहले से मकान बने हुए है, का एक ही पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत सेसली द्वारा नियमानुसार फीस ली जाकर मिसल आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उक्त निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 14.08.1972 को मिसल पेश होने पर नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किऐ। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत कर। इसके पश्चात मिसल दिनांक 09.04.1973 को बैठक में प्रस्तुत होने पर तीन पंचों को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मनोनीत किया। पंचो द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर बैठक दिनांक 16.04.1973 को पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया गया तथा एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर दिनांक 18.06.1973 को शहादत तलब करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में शहादत हेतु दिनांक 19.06.1973 को आम इश्तिहार जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 30.07.1973 को विक्रेता रामा पुत्र केना व केसा पुत्र भूता मेणा के बयान कलमबद्ध किए गए। इसके पश्चात दिनांक 01.10.1973 को मिसल पंचायत की बैठक में प्रस्तुत होने पर शंकरलाल पुत्र धन्नाजी जाति नाई साकिन सेसली से रूपये 181/– लिए जाकर नियम 266 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर स्वयं के नाम दिनांक 25.03.1980 को सनद जारी होना बताया है। अप्रार्थी द्वारा अपने दस्तावेजों के साथ तहसीलदार बाली द्वारा जारी पत्र क्रमांक/सू0अ0अ0/2017/1183 दिनांक 06.07.2017 की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें यह जाहिर किया कि उक्त नकल काफि पुरानी होने के कारण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो प्रति प्रस्तुत की है, वह प्रमाणित प्रतिलिपी न होकर फोटो प्रति है, जिसमें प्रार्थी के नाम 500 वर्ग गज भूमि की सनद जारी होना अंकित है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जो पट्टा जारी किया गया है, वह 1316 वर्गगज भूमि का है। इसके अतिरिक्त सनद में दी गई भूमि के पडौस की प्रस्थिति अंकित नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर ही उक्त सनद जारी की गई हो। इस कारण प्रार्थी का यह तर्क कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर सनद जारी हो चुकी है, इस तर्क को समर्थन नहीं दिया जा सकता है।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान

अति० जिला कलेक्टर, पाली

वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 से 261 में विहित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत सारहीन होने से खारिज़ किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा मिसल संख्या 6/27.07.1972 संकल्प संख्या 6 दिनांक 01.10.1973 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 4 के पति शंकरलाल पुत्र धनाजी नाई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 01.10.1973 को यथावत जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली